

दिल्ली विकास प्राधिकरण
कुतुब गोल्फ कोर्स
प्रेस एन्क्लेव रोड, नई दिल्ली – 110017

एफ1(40)क्यूजीसी/डीडीए/2011-12/01

दिनांक: 04/08/2023

नीलामी सूचना

कुतुब गोल्फ कोर्स की बिजली और बागवानी की मिक्स कट लकड़ी की अनुपयोगी वस्तुओं की नीलामी नीचे दर्शाई गई तारीख, समय और स्थान के आधार पर होगी। नीलामी के निर्धारित दिन सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे के बीच बोलीदाताओं को सामग्री का विवरण दिखाया जाएगा।

बोली शुरू होने से पहले प्रत्येक बोलीदाता को रुपये जमा करना आवश्यक है। आरबीआई द्वारा अनुमोदित किसी भी शेड्यूल बैंक के पे ऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 10,000/- (केवल दस हजार रुपये) बयाना राशि के रूप में। "सीएयू स्पोर्ट्स डीडीए" के पक्ष में आहरित राशि कुतुब गोल्फ कोर्स में खाता शाखा में जमा की जाएगी, जो नीलामी पूरी होने के बाद वापस कर दी जाएगी, उच्चतम बोली लगाने वाले को छोड़कर, जिसे प्रस्तावित राशि का 25% (पे ऑर्डर / डिमांड ड्राफ्ट) जमा करना होगा। + रुपये की बयाना राशि समायोजित करने के बाद जीएसटी अतिरिक्त। एहतियात के तौर पर 10,000/- रु. शेष राशि 75% + प्रस्तावित राशि का जीएसटी मांग/स्वीकृति पत्र या उसके किसी भी विस्तार के जारी होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर "सीएयू स्पोर्ट्स डीडीए" के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से जमा किया जाएगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर राशि जमा नहीं की जाती है तो बोलीदाता द्वारा जमा की गई संपूर्ण एहतियाती राशि (प्रस्तावित राशि का 25%) पूरी तरह से जब्त कर ली जाएगी और इस खाते पर किसी भी मंच या अदालत में कोई दावा नहीं किया जाएगा। बोली लगाने वाले को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

आयुक्त (खेल), डीडीए के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी बोलीदाता को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

नीलामी का स्थान	:	कुतुब गोल्फ कोर्स, डीडीए प्रेस एन्क्लेव रोड, नई दिल्ली- 110017
दिनांक और समय	:	16.08.2023 (बुधवार) को सुबह 11.00 बजे
आरक्षित मूल्य	:	रु. 7,68,185/- (रु. सात लाख अड़सठ हजार एक सौ पचासी मात्र)
बयाना राशि	:	रु. 10,000/- (रु. दस हजार मात्र)

स्थितियाँ:-

1. विभाग द्वारा कोई टी एंड पी जारी नहीं किया जाएगा।
2. यदि कार्य और वस्तुओं को हटाने की समयावधि के दौरान कोई हानि/क्षति/चोट/दुर्घटना होती है तो एजेंसी जिम्मेदार होगी। एजेंसी सचिव, क्यूजीसी के आदेश/निर्देशों के अनुसार वस्तुओं को उठाएगी।
3. बोली की वैधता नीलामी की तारीख से 30 दिन तक होगी।
4. एजेंसी की ओर से किसी भी चूक के लिए, आयुक्त (खेल) का निर्णय अंतिम और बोली लगाने वाले के लिए बाध्यकारी होगा और किसी भी मंच के समक्ष प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।
5. एजेंसी/ठेकेदार किसी भी कर देनदारी के लिए उत्तरदायी होगा।
6. लागू जीएसटी अतिरिक्त लिया जाएगा।
7. सामग्री उठाने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा।
8. यदि निर्धारित अवधि के भीतर सामग्री नहीं उठाई जाती है तो उच्चतम बोली लगाने वाले द्वारा जमा की गई एहतियाती राशि (प्रस्तावित राशि का 25% + जीएसटी) जब्त कर ली जाएगी।

सहायक अभियंता (विद्युत)
क्यूजीसी/डीडीए